यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी अनिता खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ा संख्या– 51/2022
प्रस्तुति दिनांक–08.09.2020
र्णय दिनांक–05.12.2024

/1. रामलाल पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
/2. सीताराम पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
/3. हरिराम पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
/4. कलावती पुत्री रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
/5. गायत्री पुत्री रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
/6. मंजू पुत्री रामलाल रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
/7. जनकी पुत्री रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
. नारायण पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
. रामरतन उर्फ रतना पुत्र गंगराम उर्फ गंगल्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक
. लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. रामकिशन पुत्र गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. जगदीशी पुत्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. सावित्री पुत्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. राजी पुत्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. लछमा पुत्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. भूरी पुत्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. तहसीलदार पीपलू

अधिवक्ता वादीगण–श्री चतुर्भुज गुर्जर
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 07–श्री कैलाश चौधरी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

दावा बाबत् उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88 राज0टि0एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद ती इन्द्राज प्रस्तुत कर कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 533 रकबा 00–06 बीघा किस्म गै.मु. चाह, रकबा 00–06 बीघा व ख0न0 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 566, 579 कुल किता 17 कुल रकबा 09–14 बीघा व ख0न0 1311 रकबा 10–00 बीघा व ख0न0 359 07 बीघा वाके ग्राम संदेडा, पटवार हल्का संदेडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। प्रतिवादी संख्या के पिता व पति स्व. गोपाल अपने पिता गंगाराम के जीवनकाल में ही बोदिया गुर्जर निवासी सोहेला के आ चुका था और प्रतिवादी संख्या 01 बोदिया के यहां गोद आ जाने के कारण उसका अपने प्राकृतिक संपत्ति में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा था। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता व पति स्व. गोपाल दत्तक पिता की संपत्ति में हक हिस्सा प्राप्त हो चुका है और बोदिया की समस्त चल अचल संपत्ति संख्या 01 ता 07 पिता व पति स्व0 गोपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो चुकी है। प्रतिवादी ता 07 के पिता व पति गोपाल का ग्राम संदेडा के खाता संख्या 138, 310, 311, 436, 438 में गलत रूप ण के साथ प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता पति गोपाल का नाम भी अंकित कर दिया गया है। इस तिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता व पति गोपाल का नाम उपरोक्त सभी खातो से हटाया जाना आवश्यक संगत है। क्योकि कोई भी व्यक्ति विधि अनुसार एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार । जाने के बाद अपने प्राकृति पिता की संपत्ति में कोई हक व हिस्सा शेष नही रह जाता है। वादीगण की ला का देहान्त हो चुका है। इस कारण उन्हे प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। प्रस्तुत वाद में हखातेदारो के हक व हिस्से से किसी तरह का कोई विवाद नही होने के कारण उन्हे भी पक्षकार नही गया है। अतः डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज पारित फरमायी जाकर उपरोक्त वर्णित यात भूमि ख0न0 533 रकबा 00–06 बीघा किस्म गै.मु. चाह, ख0न0 534 रकबा 00–06 बीघा व ख0न0 36, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 564, 565, 566, 579 कुल किता 17 कुल 09–14 बीघा व ख0न0 1311 रकबा 10–00 बीघा व ख0न0 359 रकबा 00–07 बीघा वाके ग्राम संदेडा, हल्का संदेडा में प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता व पति गोपाल का नाम जो वादीगण के साथ तेदार के रूप में अंकित किया हुआ है, गोपाल का नाम उपरोक्त खातो से हटवाया जावे एवं वादीगण को त हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 07 की और धिवक्ता श्री कैलाश चौधरी ने वकालतनामा व इकबाली दावा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादपत्र के संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 स्वीकार है। वादपत्र का चरण संख्या 09, 10 कानूनी होने से जवाब

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

वश्यकता नही है। जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है की वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया

अधिवक्ता वादीगण ने बहस का निवेदन किया। बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण नी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 533 रकबा 00–06 बीघा किस्म गै.मु. चाह, ख0न0 534 रकबा 3 बीघा व ख0न0 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 564, 565, 566, कुल किता 17 कुल रकबा 09–14 बीघा व ख0न0 1311 रकबा 10–00 बीघा व ख0न0 359 रकबा 00–07 वाके ग्राम संदेडा, पटवार हल्का संदेडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के व पति स्व. गोपाल अपने पिता गंगाराम के जीवनकाल में ही बोदिया गुर्जर निवासी सोहेला के यहां गोद आ था और प्रतिवादी संख्या 01 बोदिया के यहां गोद आ जाने के कारण उसका अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति ई हक व हिस्सा शेष नही रहा था। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता व पति स्व. गोपाल को उसके दत्तक की संपत्ति में हक हिस्सा प्राप्त हो चुका है और बोदिया की समस्त चल अचल संपत्ति प्रतिवादी संख्या 01 ता पेता व पति स्व0 गोपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता व गोपाल का ग्राम संदेडा के खाता संख्या 138, 310, 311, 436, 438 में गलत रूप से वादीगण के साथ वादी संख्या 01 ता 07 के पिता पति गोपाल का नाम भी अंकित कर दिया गया है। जबकि कोई भी व्यक्ति अनुसार एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार गोद चले जाने के बाद अपने प्राकृति पिता संपत्ति में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहता है। अतः डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज पारित मायी जाकर उपरोक्त वर्णित आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता व पति स्व0 गोपाल का नाम वादीगण के साथ सहखातेदार के रूप में अंकित किया हुआ है, को विलोपित किया जाकर वादीगण को रोक्त हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक वादपत्र वाद वादी क्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है।

अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 नारायण पुत्र गंगाराम उर्फ ल्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम सन्देडा व साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 02 रामराज पुत्र धन्नालाल जाति गुर्जर वासी ग्राम संदेडा तह0 पीपलू जिला टोंक प्रस्तुत किये।

पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त उनवानी प्रकरण में दीगण ने कथन किया है की वादग्रस्त भूमि ख0न0 533 रकबा 00–06 बीघा किस्म गै.मु. चाह, ख0न0 534 रकबा)–06 बीघा व ख0न0 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 564, 565, 566, 79 कुल किता 17 कुल रकबा 09–14 बीघा व ख0न0 1311 रकबा 10–00 बीघा व ख0न0 359 रकबा 00–07 घा वाके ग्राम संदेडा, पटवार हल्का संदेडा तह0 पीपलू में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता व पति व. गोपाल अपने पिता गंगाराम के जीवनकाल में ही बोदिया गुर्जर निवासी सोहेला के यहां गोद आ चुका था और

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

ी संख्या 01 बोदिया के यहां गोद आ जाने के कारण उसका अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति में कोई हक सा शेष नही रहा था। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता व पति स्व. गोपाल को उसके दत्तक पिता की में हक हिस्सा प्राप्त हो चुका है और बोदिया की समस्त चल अचल संपत्ति प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 पिता स्व0 गोपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता व पति का ग्राम संदेडा के खाता संख्या 138, 310, 311, 436, 438 में गलत रूप से वादीगण के साथ प्रतिवादी 01 ता 07 के पिता पति गोपाल का नाम भी अंकित कर दिया गया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 ता पिता व पति गोपाल का नाम उपरोक्त सभी खातो से हटाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अधिवक्ता ादी ने प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता व पति गोपाल का नाम उपरोक्त विवादित आराजीयात से पेत किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। लिहाजा उभयपक्ष अधिवक्तागण ने स्व. गोपाल पुत्र गंगाराम ोदिया गुर्जर निवासी सोहेला के यहां गोद जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त ण में राजस्व हानि कारित होना स्पष्ट है। अतः उक्त विवेचनानुसार उभयपक्ष की सहमति के आधार वाद गण डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया इस प्रकार डिक्री की जाती है, की भूमि जी ख0न0 533 रकबा 00–06 बीघा किस्म गै.मु. चाह, ख0न0 534 रकबा 00–06 बीघा व ख0न0 535, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 564, 565, 566, 579 कुल किता 17 कुल रकबा 14 बीघा व ख0न0 1311 रकबा 10–00 बीघा व ख0न0 359 रकबा 00–07 बीघा वाके ग्राम संदेडा, पटवार ा संदेडा से स्व. गोपाल पुत्र गंगाराम तथाकथित दत्तक पुत्र बोदिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम संदेडा, हाल ासी सोहेला का नाम विलोपित किया जाता है एवं स्व0 गोपाल पुत्र गंगाराम की उक्त आराजीयात में गंगाराम शेष वारिसानो को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को शित किया जाता है की वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात में निर्णय व डिक्री पालना हेतु स्टाम्प ड्यूटी व स्ट्रेशन शुल्क जमा राजकोष किये जाने के उपरान्त मुताबिक निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रिकॉर्ड में ल दरामद करे। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को मेरे द्वारा खवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार तर दाखिल हो।

(अमिता कुमारी खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner